

5

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 209/2019


गुरविन्द्रसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. जगरूपसिंह पुत्र बलदेवसिंह } जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला
2. मुखत्यारसिंह पुत्र बलदेवसिंह } हनुमानगढ।
3. मनप्रीतकौर पुत्री बलदेवसिंह }
4. कुलविन्द्र कौर } पि० मुर्तिकौर उर्फ रणजीतकौर पुत्री बलदेवसिंह जाति जटसिख
5. गुरसेवकसिंह } निवासी नारायणगढ बुधसिंह वाला तहसील सादुलशहर
6. रूपिन्द्रकौर } जिला श्रीगंगानगर।
7. अमनदीपसिंह }
8. परमीतकौर पत्नी जगराजसिंह
9. परविन्द्र कौर उर्फ बेअन्तकौर पुत्री जगराजसिंह } कौम जटसिख निवासीयान बशीर
10. सुखविन्द्र पुत्र जगराजसिंह } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. जगसीरसिंह } पि० बूटासिंह
12. सरजीतसिंह }
13. इकबालसिंह } पि० महेन्द्रसिंह
14. तकदीरसिंह }
15. रणजीत कौर पत्नी महेन्द्रसिंह

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी गुरविन्द्रसिंह को चकनं० 6 एफटीपी के प०न० 202/242 मु० 21 किलानं० 15/.013,16/.240, 25/.253, 203/242 मु० 22 किलानं० 21/1/.048 उतरी दिशा, 21/2/.003 गै.मु.रास्ता कुल 0.557 है० ख.प्रतिवादीसं० 1 जगरूपसिंह को चकनं० 6 एफटीपी के प०न० 202/243 मु० 39 किलानं० 5/1/.202 नहरी, 5/2/.051 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 203/242 मु० 22 किलानं० 20/1/.240, 20/2/.013 गै०मु० रास्ता, 21/3/.096, 21/4/.005 गै०मु० रास्ता कुल 0.607 है० ग.प्रतिवादीसं० 2 मुखत्यारसिंह को चकनं० 6 एफटीपी के प०न० 203/243 मु० 38 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 गै०मु० रास्ता, प०न० 203/242 मु० 22 किलानं० 21/5/.096 है०, 21/6/.005 है० गै०मु० रास्ता कुल 0.354 है० घ. प्रतिवादीसं० 11 जगसीरसिंह, प्रतिवादी सं० 12 सरजीतसिंह 2/3 हिस्सा ब०हि०ब० तथा प्रतिवादीसं० 13 इकबालसिंह, प्रतिवादीसं० 14 तकदीरसिंह ब०हि०ब० 1/3 हिस्सा- चकनं० 6 एफटीपी के प०न० 202/242 मु० 21 किलानं० 15/.240, 17,24,16/.013/.759 है०,प०न० 202/243 मु० 39 किलानं० 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै०मु० रास्ता के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 6 एफटीपी



उपखण्ड अधिकारी पुत्र
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

(6)

खाता सं० 26/49 में से बलदेवसिंह, नंदकौर,रणजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....16-08-2019.....को जारी किया गया।



(मीन वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक सहायक एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी